सचिवालय, नगर निगम, आगरा।

संख्या 71 / सचि0 / डी / 2018 दिनांकः 06.10.2018

माननीय महापौर महोदय के आदेशानुसार कार्यकारिणी के पंचम अधिवेशन की बैठक दिनांक 10.10.2018 को मध्यान्ह् 1:30 बजे नगर निगम के स्मार्ट सिटी सभा कक्ष में आहूत की गयी है। जिसका कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

कार्यक्रम :-

1. कार्यकारिणी समिति के चतुर्थ अधिवेशन की बैठक दिनांक 07.09.2018 के कार्यवृत की पुष्टि करना।
2. आवारा जानवरों / गायों का नगर निगम सीमान्तर्गत पशुपालकों द्वारा लगातार आवारा छोडने पर जुर्माना करने सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार करना।
3. आगरा शहर के विभिन्न स्थानों पर बी.ओ.टी. के आधार पर एल.ई.डी. स्क्रीन लगाने सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार करना।
4. शासन द्वारा वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही करते हुए वृक्षों की आपूर्ति एव ट्री-गार्ड लगाते हुए 03 वर्ष तक अनुरक्षण कार्य के सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार करना।
5. मा0 सदन के पंचम अधिवेशन दिनांक 26.05.2018 में प्रस्ताव संख्या 3(1), 3(2) एवं 3(3) में पारित प्रस्ताव के क्रम में साईटरेन्ट / प्रीमियम आधारित विज्ञापन व्यवसाय अर्थात आगरा नगर निगम आउटडोर एडवरटाईजमेन्ट बिजनेस बॉयलॉज-2018 का ड्राफ्ट मै0 DIMTS द्वारा तैयार किया गया है, जो मा0 कार्यकारिणी / सदन के समक्ष विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
6. उ0प्र0 नगर नगम अधिनिमय, 1959 की धारा 385, 541(1), 541(19), 541(26), 541(29), 541(36), 541(42) एव धारा 542 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रवंधन एवं संचालन) नियम, 2000, पुनरिक्षित 2016 के दृष्टिगत नगर निगम, आगरा द्वारा "नगर निगम, आगरा के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व संचालन) उपविधियाँ-2016 पर विचार करना।
7. अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से।

प्रभारी सचिवालय
नगर निगम, आगरा
6-10-18

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव संख्या – 6

उ0प्र0 नगर नगम अधिनियम, 1959 की धारा 385, 541(1), 541(19), 541(26), 541(29), 541(36), 541(42) एव धारा 542 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2000, पुनरिक्षित 2016 के दृष्टिगत नगर निगन, आगरा द्वारा ''नगर निगम, आगरा के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व संचालन) उपविधियाँ-2016''

1- संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :- यह उपविधियां नगर निगम, आगरा के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व संचालन) उपविधियाँ-2016 कहलायेगी।

1. यह उपविधियां नगर निगम, आगरा के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व संचालन) उपविधियाँ-2016 कहलायेगी।
2. ये उपविधियाँ गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2- लागू होना:- ये उपविधियाँ नगर निगम, आगरा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशील होंगी।

3- परिभाषाऐं:-

1. ''बातनिरपेक्ष पाचन'' से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइक्रोबायिल वियाजन अतर्वलित है।
2. ''प्राधिकार'' से ''सुविधा के प्रचालक'' को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है।
3. ''जैव निम्नकरणीय पदार्थ'' से वह अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है।
4. ''जैविक, मीथेनीकरण'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाईमी विघटन करती है।
5. ''संग्रहण'' से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है।
6. ''कचरा खाद बनाने'' से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्मजैविक निम्नकरण अंतर्वलित है।
7. ''ढहाने तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट'' से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने संबंधी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोडियों और मलबे में उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।
8. ''व्ययन'' से भूजल सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को सदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से से व्ययन अभिप्रेत है।
9. ''प्ररूप'' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।
10. ''अपशिष्टों के उत्पादक'' से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।
11. ''भूमिवरण'' से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल, अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजायन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है।
12. ''निक्षालितक'' से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।
13. ''लाईसोमीटर'' से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उसमें से जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेषक के लिए अन्तःस्त्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है।

Scanned by CamScanner

14. "नगर निगम प्राधिकारी" से नगरी निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और संचालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

15. "नगर ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अभिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

16. "प्रसुविधाओं के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के सग्रहण, पृथक्करण, भण्डार, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान की प्रसुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और संचालन के लिए नगर निगम प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है।

17. "गुटिकाकरण" से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाऐं तैयार की जाती है जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़ों में होंगे और इसके अन्तर्गत ईधन गुटिकाऐं भी आती हैं, जिसे कचरे से प्राप्त ईधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है।

18. "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

19. "पुनःचक्रण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

20. "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

21. "पृथक्करण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग-अलग करना अभिप्रेत है।

22. "राज्य बोर्ड या समिति" से यथास्थिति, राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है।

23. "भण्डारण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा-करकट बिखरने, रोगवाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

24. "परिवहन" से विशेष रूप से डिजायन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखेरने, रोगवाहकों की पहुँच को रोका जा सके।

25. "अधिभौमजल" से वह जल अभिप्रेत है जो भू सतह तथा भौम जल स्तर के मध्यम अर्थात असंतृप्त क्षेत्र में होता है।

26. "कृमि कचरा खाद बनाना" जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केंचुओं को उपयोग में लाने की प्रक्रिया है।

4- नगर ठोस अपशिष्टों को पृथक्करण :-

1. समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उपसर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उदगम स्थल पर ही पृथक-पृथक सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र मे भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध कराई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सड़कों, मार्गों पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गन्दगी कूड़ा-करकट नहीं फैले अन्यथा एन्टी लिटरिंग केयरिंग चार्जेज मौके पर वसूल किया जा सकेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

2. नगर निगम, आगरा द्वारा समय-समय पर नागरिकों का प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निगम स्थानीय रेजिडेन्ट वेलफेयर, ऐसोसिऐशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगर निगम, आगरा से अनुबन्धित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिए प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा।

5- नगरीय ठोस अपशिष्टों को भण्डारण :- नगर निगम, आगरा अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षा ऐसी रीति से करेगा, जिससे कि इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा :-

1. निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं होगी। भण्डारण सुविधा मोबाईल ढक्कन द्वारा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर ही होगी जहाँ प्रयोक्ता पहुँच सके।
2. नगर निगम, आगरा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजायन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो सौन्दर्यपरक रूप में प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो एवं उसे कूड़ादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिए प्रेरित करें।
3. नगर निगम, आगरा द्वारा निर्धारित कूड़ादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के पृथक-पृथक कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हैं :-

(ए) हरा - जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।

(बी) सफेद - पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टों हेतु।

(सी) काला/पीला/नीला- अन्य साधारण अपशिष्टों हेतु।

इन कन्टेनरों से कूड़े/ अपशिष्टों के हथलन निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजायन के केरीयर वाहन, काम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेंगे।

4. शहर में स्थित सभी कोआपरेटिव सोसायटीज, एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनर, जिसकी डिजायन नगर निगम, आगरा से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली-भातिं भण्डारण हो सके। जिन्हें नगर निगम, आगरा के वाहनों से समयबद्ध रूप से खाली करवाने हेतु वे नगर निगम, आगरा को देय यूजर चार्जेज पर अनुबन्ध कर वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगे।
5. समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में उत्पन्न पुनः चक्रित अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील कचरा बीनने वाले (रेगपिकर्स) नगर निगम, आगरा द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कबाड़ी को विक्रय कर दें व किसी भी स्थिति में आम सड़क पर अथवा निगम के कूड़ादान/कन्टेनर में नहीं डालें।
6. कार्यवाही नगर निगम, आगरा अन्य व्यवस्था द्वारा (बीओटी/वीजीएफ/स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के आधार पर) की जायेगी ओर इस व्यवस्था को सभी संस्थानों को नगर निगम, आगरा द्वारा अनुमोदित

Scanned by CamScanner

यूजर चार्जेज देकर अपनाना होगा अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट फैलाने वालों से केयरिंग चार्जेज मौके पर तत्काल वसूल किया जा सकेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

7. बूचड़खाना, मास-मछली बाजारो, फल एव सब्जी बाजारो के अपशिष्ट का जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग मे लाया जा सके और इनमें कोई संक्रामक बीमारियाँ नहीं फैले। इसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने स्तर से प्रबन्धन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगर निगम, आगरा द्वारा डोर टू डोर संग्रहण, परिवहन व निस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केयरिंग को अपनाकर इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केयरिंग चार्जेज मौके पर वसूल किये जा सकेंगे अथवा न्यायालय म अभियोग दायर किया जा सकेगा।

8. जैव चिकित्सीय, अपशिष्ट तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नही मिलाया जायेगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहणइस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जावेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट सुविधा लागू की गई है। उपलब्ध करवाई गई कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सयंत्र से देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकारक अपशिष्ट का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

9. आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को ट्राई साईकिल रिक्शे अथवा ऑटो टिपर गाड़ियों से निर्धारित सामुदायिक कूड़ाघर/ढके हुए कन्टेनरो से प्रसंस्करण प्लांट पर डलवाया जायेगा।

10. बागवानी और निर्माण/ढहाए गये कार्यों से उदभूत अपशिष्टों/मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा। नगर निगम, आगरा द्वारा इस हेतु सप्ताह में एक दिवस निर्धारित कर अपेक्षा की जायेगी कि बागवानी से अपशिष्टा को नगर निगम, आगरा के निर्धारित नजदीक के कूड़ाघर पर मध्यान्ह तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाये ताकि उनका समय पर परिवहन सम्भव हो सके। निजी निर्माण/ढहाये गये मकानों के शेष अपशिष्ट अपने स्वयं के प्रबन्धन पर अथवा नगर निगम आगरा द्वारा अधिकृत संविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन करवाकर निर्धारित चिन्हित गंतव्य स्थल तक पहुंचाना होगा। खुले स्थलों, मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से अपना ऐसा निजी मलबा डालना/रखना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय होगा।

11. अपशिष्ट (कूड़ा करकट, सूखी पत्तियो) को जलाया नहीं जायेगा।

12. आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर में किसी अन्य स्थान के आस-पास मूकरूप से घूमने नहीं दिया जायेगा तथा उनका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

13. कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी कीचड़, पानी, नाईट स्वायल गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर मे इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गों पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषण हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरूद्ध तत्काल कैरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

14. कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्को इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गन्दगी फैलाते हुए पाया जाता है तो दण्डनीय अपराध होगा और उससे कैरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा।

6- नगर निगम, आगरा का दयित्व :-

1. नगर निगम, आगरा प्रशासन द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी, क्षेत्रों, बाजारों, पर्यटक स्थलों के आस-पास नगर निगम, आगरा के स्वयं के उद्यानों,

Scanned by CamScanner

शमशान इत्यादि में प्रतिदिन व सम्पूर्ण वर्षभर सफाई की व्यवस्था सुनिर्श्चित की जायेगी एवं यहाँ से एकत्रित किया गया कचरा कूड़ा, नजदीक के घोषित कूड़ादान/कन्टेनर में एकत्रित करवाया जाकर वहाँ से प्रतिदिन उसका परिवहन अन्तिम निस्तारण स्थल तक बंद वाहनों में करवाने के लिए प्रतिबद्ध होगी जिसके लिए नगर निगम, आगरा अपने स्वयं के स्थाई सफाई कर्मचारियों एवं वाहनों के लिए अन्य सफाई कर्मचारी रहित कॉलोनियों, क्षेत्रों में निजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिए अधिकृत होगी ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा जन स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता व सुन्दरता सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके।

2. शहर की दैनिक सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था के प्रबन्धन हेतु नगर निगम, आगरा अपने शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड मे एक वार्ड कार्यालय(शिकायत केन्द्र) आवश्यकतानुरार उपयुक्त स्थानों पर कूड़ादान/कन्टेनर सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय) सामुदायिक कूड़ादान कचरे को ट्रासफर स्टेशन शहर के कूड़े के अन्तिम निष्कासन हेतु कचरागाह/लेण्डफिल) प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतंत्र होगा। नगर निगम आगरा के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन निर्धारित प्रावधानों के तहत किया जायेगा तथा जिसे सम्बन्धित अपशिष्ट निर्माता द्वारा अपनाया जायेगा।

7- नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण :- नगर निगम, आगरा क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा करकट फैलाना प्रतिरोध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गो, निजी खुले स्थलों, पार्कों, पानी के स्त्रोतों इत्यादि पर गन्दगी कूड़ा-करकट फैलाते व रखते पाया गया तो नगर निगम आगरा के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नही हो सलग्न ''अनुसूची-अ'' में घोषित/समय-समय पर नगर निगम, आगरा द्वारा निर्धारित कैरिंग चार्जेज ऐसे दोषी व्यक्तियो से मौके पर ही वसूल करने का सक्षम होगा। नगर निगम आगरा द्वारा इस हेतु :-

1. नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2016 के अनुपालन मेंघर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये ''स्वच्छता मित्र आपके द्वार'' योजना निगम के सभी क्षेत्रों/वार्डों में लागू की जावेगी।
2. घर-घर से कचरा सग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जावेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 से 12.00 बजे तक निर्धारित रूप से किया जावेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ नगर निगम, आगरा द्वारा निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता की ट्राई साईकिल पर घंटी/भोपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक ना हो) भी लगाया जावे ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियों को सूचित किया जा सके।
3. व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 09.00 से 01.00 बजे तक रखा जावेगा।
4. घर-घर कचरा सग्रहण योजना के तहत घर-घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें, निर्धारित की जा चुकी हैं।

प्रयोक्ता प्रभार शुल्क संशोधन के साथ मा0 सदन द्वारा अनुमोदन किया गया। आवासीय भवनों का प्रयोक्ता शुल्क 5-प्रतिशत एवं अनावासीय भवनों हेतु 10-प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया परन्तु फर्म द्वारा बेहतर सेवा दिये जाने की दशा में समीक्षा के उपरान्त उक्त वृद्धि विचारणीय होंगी।

5. घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से वार्ड/क्षेत्र की अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जावेगा। उक्त दरों की संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसार किया जावेगा एवं दरों को रिक्शा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जावेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्शा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा।
6. संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबधित नगर निगम आगरा के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

Scanned by CamScanner

7. होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरो तथा वाणिज्यिक क्षेत्रो सहित झुग्गी झोपड़ी तथा इधर-उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जावेगी। इन संस्थानो से उत्सर्जित बायो डिग्रेडेबल सब्सटेन्स के उदगम स्थल से बन्द वाहनो मे एकत्रित कर, बन्द वाहनो से परिवहन कर नियमानुसार इनके अन्तिम निस्तारण स्थल पर ले जायेगा।

8. इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई-धराई किया जाना प्रतिबद्ध करना आदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुये समुचित पूर्ण सावधानी के अधीन मानव द्वारा उठाई-धराई की जा सकेगी।

9. किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए नगर निगम आगरा द्वारा सड़कों/मार्गों/पार्कों इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये विभिन्न क्षमता के बिन्स अथवा कन्टेनर के भीतर कचरा न डालकर जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा व ऐसा पाये जाने वाले मौके पर ही कैयरिंग चार्जेज वसूल किया जा सकेगा।

10. नगर निगम, आगरा कन्टेनर्स रहित व्यवस्था भी कर सकेगी लेकिन ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की बारम्बारता अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सड़कों पर पड़ा नहीं रहे।

8- नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन :- अपशिष्टों का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से भली-भाँति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गो पर बिखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा-

1. स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूड़ा-कचरा साफ किया जायेगा। कूड़ादान के साथ-साथ आसपास का क्षेत्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा।
2. परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई-धराई से बचा जा सके।

9-नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण :- नगर निगम, आगरा द्वारा नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न हाने वाले अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत आवंटित अथवा प्राप्त स्थलों पर स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके के लिए निम्नलिखित मानदण्डो को अपनाया जा सकेगा :-

1. जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए कम्पोस्टिंग वर्मिकम्पोस्टिंग वात निरपक्ष पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जा सकेगा, जिससे नगर नगम स्वयं अपने स्तर से अथवा किसी से संस्था को लाईसेस प्रदान कर बीओटी/ओ.ओ. पद्वति से कार्य करवा सकेगा।
2. पुनः प्राप्त संसाधनो वाले मिश्र अपशिष्ट के लिये रीसायकलिंग प्रक्रिया अपनाते हुए विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिए इनसीनरेशन के साथ अथवा उसके बिना ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पेलेटाईजेशन के प्लांट अथवा और कोई नवीनतम पद्धति है तो स्वयं या कोई सुविधा प्रचालक बीओटी/बी.ओ.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित करने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से तकनीकी अनुमोदन करवाकर किसी संस्था को अधिकृत लाईसेंस जारी कर सकेगा।

10- नगरीय ठोस अपशिष्ट का व्ययन :- भूमिभरण में जैव अनिम्नोकरणीय निष्क्रय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनःचक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है निर्वधित रखा जावेगा। भूमिभरण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंसकरण पूर्व छोड़े गये अपशिष्ट से भी बचा जायेगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये उपर्युक्त न पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों अथवा वैकल्पिक सुविधायें स्थापित किये जाने तक नगर निगम, आगरा अपने लैण्डफील साईट पर निर्धारित मानदण्डो को अपनाते हुए भूमिकरण कर सकेगा।

Scanned by CamScanner

11- अभियोजन/शास्तियां :- नगर निगम आगरा के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व संचालन की उपविधियां, 2016 के उपरोक्त किसी भी उपविधि की पालना नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर नगर निगम आगरा द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत् अभियोजन किया जा सकेगा तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 पर तत्धीन निर्मित नियमों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिये पर्यावरण विभाग को सिफारिश कर सकेगा। साथ ही नियम उपनियम समिति ऐसे करने के लिए अपनी अनुशंषा भी सक्षम अधिकारी को प्रेशित कर सकेगा जिन्होने कैरिंग चार्ज वसूल करने में कोई अनियमितता अथवा लापरवाही बरती हो।

12- व्यावृतिया :-

1. इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् नगर निगम आगरा के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व संचालन) उपविधियाँ तथा इस संबध में अन्य नगर निगम में इसी प्रकार की इस विषय से संबंधित किसी भी नाम से प्रवृत उपविधियाँ इसके द्वारा निरस्त की जाती है।
2. इन उपविधियों के प्रवर्तन आने से पूर्व में निश्चित उपविधियाँ के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा। बशर्त की ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हो।
3. ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधियों के अधीन की गई किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गई किसी शस्ति, समपरव या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

"अनुसूची - अ"

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज

क्र0सं0	कृत्य	नगर निगम द्वारा आरोपित धनराशि	नगर निगम द्वारा संशोधित आरोपित धनराशि
1	आवासीय भवन स्वामियो द्वारा खुले में कचरा डालने पर	100/-रू0 प्रतिदिन	100/-रू0 प्रतिदिन
2	दुकानदारो द्वारा खुले में कचरा डालने पर	250/-रू0 प्रतिदिन	500/-रू0 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा खुले मे कचरा डालने पर	400/-रू0 प्रतिदिन	1000/-रू0 प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा खुले मे कचरा डालने पर	500/-रू0 प्रतिदिन	5000/-रू0 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले मे कचरा डालने पर	1000/-रू0 प्रतिदिन	5000/-रू0 प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट, पकोड़ी, फास्ट फूड आईसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एव फ्रूट आदिं ठेला व्यवसायियों पर	100/-रू0 प्रतिदिन	500/-रू0 प्रतिदिन
7	गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	500/-रू0 प्रतिदिन	2500/-रू0 प्रतिदिन
8	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	200/-रू0 प्रतिदिन	3000/-रू0 प्रतिदिन
9	निजी ट्रेक्टर्स द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़का पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1000/-रू0 प्रतिदिन	1000/-रू0 प्रतिदिन
10	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व	1500/- रू0 प्रतिदिन	1500/- रू0

Scanned by CamScanner

	उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)		प्रतिदिन
11	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में।	100/- रू0 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज	1000/- रू0 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज
12	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर।	500/- रू0 प्रतिदिन	500/- रू0 प्रतिदिन
13	क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	500/- रू0 प्रतिदिन	500/- रू0 प्रतिदिन
14	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	100/- रू0 प्रतिदिन	100/- रू0 प्रतिदिन
15	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवारों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	200/- रू0 प्रतिदिन	200/- रू0 प्रतिदिन
16	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	200/- रू0 प्रतिदिन	200/- रू0 प्रतिदिन
17	शादी/विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर	1000/- रू0 प्रतिदिन	1000/- रू0 प्रतिदिन
18	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	1000/- रू0 प्रतिदिन	1000/- रू0 प्रतिदिन
19	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	50/- रू0 प्रतिदिन	50/- रू0 प्रतिदिन
20	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	100/- रू0 प्रतिदिन	100/- रू0 प्रतिदिन
21	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	2500/- रू0 प्रतिदिन	2500/- रू0 प्रतिदिन
22	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	500/- रू0 प्रतिदिन	500/- रू0 प्रतिदिन
23	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	1000/- रू0 प्रतिदिन	1000/- रू0 प्रतिदिन
24	सड़क के किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में।	500/- रू0 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज	500/- रू0 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज
25	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम,	5000/- प्रति घटना	5000/- प्रति घटना

Scanned by CamScanner

	क्लीनिक, पैथोलोजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ठ को नगरीय ठोस अपशिष्ठ में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर।		
26	खुले में शौच करने पर।	100/- प्रति	200/- प्रति
27	व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर।	पहली बार पाये जाने पर 100/- दोबारा पाए जाने पर 500/-	पहली बार पाये जाने पर 100/- दोबारा पाए जाने पर 500/-
			200/-रू0 प्रतिदिन
28	पान मसाला/पान के सड़क, पटरी, दीवार, नाली में थुकने पर		500/-रू0 प्रतिदिन
29	नाली में कूड़ा डालने पर		100/-रू0 प्रतिदिन
30	खुले में पेशाब करने पर		200/-रू0 प्रतिदिन
31	डोमेशटिक हर्जाडस वेस्ट खाली प्लाट, पटरी, नाली, नाले में फैकने पर		
32	खाली प्लाट में सॉलिड वेस्ट फैकने पर		1000/-रू0 प्रतिदिन
33	बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा अपने प्रशिक्षेत्र में कराए फैलाने/इधर उधर फैकने, आग लगाने आदि पर		5000/-रू0 प्रतिदिन
34	मलवा सी.एण्ड.डी. वेस्ट सार्वजनिक सड़क, मार्ग पटरी, खाली प्लाट में इधर उधर फैकने पर		1000/-रू0 प्रतिदिन आवासीय 5000/-रू0 प्रतिदिन व्यवसायिक
35	खुले में कचरा जलाने पर		5000/-रू0 प्रतिदिन
36	गीले व सूखे कूड़े को अलग-अलग रखने एवं न देने पर		200/-रू0 प्रतिदिन आवासीय 10000/-रू0 प्रतिदिन वैवाहिक स्थल, पार्टी हॉल इत्यादि 5000/-रू0 प्रतिदिन सिनेमा हॉल, क्लब, कम्न्यूटि हॉल इत्यादि 500/- अन्य व्यवसायिक स्थल

उपरोक्त कैरिंग चार्ज/शमन शुल्क प्रथमवार उल्लंघन पर आरोपित किया जाएगा यदि उल्लंघनकर्ता तथा इसकी पुनावृत्ति की गई तब यह दुगना, तिगुना वसूला जाएगा।

Scanned by CamScanner